फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 116/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/164) **श्री मांगीलाल के बजाय श्री शांतिलाल व अन्य बनाम लाभचंद व अनय**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.06.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री राधेश्याम लुहार व अन्य - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** 1. श्री मांगीलाल पिता श्री हरजी के लुहार निवासी कचुमरा- 1.1. श्री शांतिलाल पिता श्री मांगीलाल लुहार, निवासी कचुमरा 1.2. श्री कालु पिता श्री मांगीलाल लुहार, निवासी कचुमरा 1.3. पुष्पा पिता श्री मांगीलाल लुहार, निवासी कचुमरा 1.4. प्रेमी पिता श्री मांगीलाल लुहार, निवासी कचुमरा 2. श्री उदयलाल पिता श्री हरजी लुहार, निवासी कचुमरा। 3. श्री लालुराम पिता श्री दयाराम सालवी, निवासी सुथार खेड़ा। 4. श्री मथरालाल पिता श्री दयाराम सालवी, निवासी सुथार खेड़ा। 5. श्री गेहरीलाल पिता श्री नारायण सुथार, निवासी सुथार खेड़ा। 6. श्री भंवरलाल पिता श्री नारायण सुथार, निवासी सुथार खेड़ा। 7. श्री किशनलाल पिता श्री नारायण सुथार, निवासी सुथार खेड़ा- 7.1. श्रीमती लीला पत्नि स्व.श्री किशनलाल सुथार, निवासी सुथार खेड़ा। 7.2. श्री सुरेश पिता स्व. श्री किशनलाल सुथार, निवासी सुथार खेड़ा। 7.3. श्री मुकेश पिता स्व. श्री किशनलाल सुथार, निवासी सुथार खेड़ा। 7.4. प्रेम पुत्री स्व. श्री किशनलाल सुथार, निवासी सुथार खेड़ा। 7.5. श्रीमती निर्मला पत्नि स्व. श्री किशनलाल सुथार, निवासी सुथार खेड़ा। 7.6. उमा उर्फ उर्मिला पुत्री स्व. श्री किशनलाल सुथार, निवासी सुथार खेड़ा। 8. श्री मांगीलाल पिता श्री भेरा सालवी, निवासी सुथार खेड़ा 8.1. श्री प्रकाश पिता स्व.श्री मांगीलाल सालवी, निवासी सुथार खेड़ा। 9. श्री चतुर्भुज पिता श्री पोखर सालवी, निवासी सुथार खेड़ा। 10. श्री नानुराम पिता श्री चतुर्भुज सालवी, निवासी सुथार खेड़ा। 11. श्री पंकज पिता मथरा दत्तक पिता उदा जी सालवी, निवासी सुथार खेड़ा। 12. श्री उदयलाल पिता हीरालाल ढोली, निवासी कचुमरा। 13. श्री रामलाल पिता श्री हीरालाल ढोली, निवासी कचुमरा के बजाय- 13.1. श्रीमती उमाबाई पत्नि स्व. श्री रामलाल ढोली, निवासी कचुमरा। 13.2. श्री मुकेश पिता स्व. श्री रामलाल ढोली, निवासी कचुमरा। 13.3. श्री कन्हैयालाल पिता स्व. श्री रामलाल ढोली, निवासी कचुमरा। 13.4. श्री प्रवीण पिता स्व. श्री रामलाल ढोली, निवासी कचुमरा। 14. श्री किशनलाल पिता श्री भेरा गायरी, निवासी कचुमरा सभी निवासीयान तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़। **अपीलार्थी** 1. श्री लाभचन्द पिता श्री हीरालाल जाट, निवासी अचलपुरा। 2. श्री रामचन्द्र पिता श्री हीरालाल जाट, निवासी अचलपुरा। 3. श्रीमती रामकुंवर पुत्री श्री हीरालाल जाट, निवासी अचलपुरा। 4. श्रीमती प्यारीबाई पत्नि श्री हीरालाल जाट, निवासी अचलपुरा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़। **प्रत्यर्थी**	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 116/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/164) **श्री मांगीलाल के बजाय श्री शांतिलाल व अन्य बनाम लाभचंद व अनय**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी का निर्णय दिनांक 22.04.2024, प्रकरण संख्या 01/2024, बउनवानी श्री लाभचन्द व अन्य बनाम श्री मांगीलाल व अन्य

<u>निर्णय</u>

दिनांक 19.06.2024

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी का निर्णय दिनांक 22.04.2024, प्रकरण संख्या 01/2024, बउनवानी श्री लाभचन्द व अन्य बनाम श्री मांगीलाल व अन्य, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 एलआर एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि खाता संख्या 159 की आराजी संख्या 660 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, आराजी संख्या 668 रकबा 1.2000 हैक्टेयर, आराजी संख्या 0.2200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 680 रकबा 0.4800 हैक्टेयर मौजा सुथारखेड़ा पटवार हल्का भाटोली, तहसील बड़ी सादड़ी में स्थित होकर उनके खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि के पड़ौस के खातेदारों एवं उनकी भूमि के मध्य कोई सीमा चिन्ह नहीं होन से विवाद की स्थिति रहती है। इसलिए प्रार्थीगण विवाद से बचने के लिए अपनी आराजी की मुकम्मज पत्थरगढ़ी करा लेना चाहते है, इस हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 22.04.2024 को निर्णय पारित किया कि **"तहसीलदार बड़ीसादड़ी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुथारखेड़ा की आराजी नम्बर 660, 668, 679, 680 कुल रकबा 2.30 है. की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढ़ी विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावें। कब्जे में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं की जावें। किसी भी प्रकार का कब्जा सुपूर्द नहीं किया जाएं। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये 2500/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।"**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी के उक्त निर्णय दिनांक 22.04.2024 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 14.06.2024 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मेमों व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थीगण द्वारा उपरोक्त आराजीयात के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही दिवस में अपीलार्थीगण को बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर दिये कथित निर्णय पारित कर दिया। प्रत्यर्थीगण की कोई उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात मौके पर स्थित नहीं है, मौके पर अपीलार्थी की जायदाद स्थित है और अपीलार्थी जायदाद पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हे। श्री महेन्द्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 116/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/164) **श्री मांगीलाल के बजाय श्री शांतिलाल व अन्य बनाम लाभचंद व अनय**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जाट के नाम से पूर्व में आराजी नं. 309/5 रकबा 15 बीघा एवं आराजी संख्या 306/8 रकबा 15 बीघा जमीन जिसमें से दिनांक 26.12.1994 से विक्रय से 2 बीघा जमीन भंवरलाल लौहार ने खरीदी थी। उक्त आराजी के नवीन नम्बर 672 रकबा 26 हैक्टेयर भूमि एवं आराजी नं. 677 रकबा 0.16 है, कुल किता 1 कुल रकबा 0.42 है. दर्ज हुई। पुरानी जमाबंदी के अनुसार जमीन 2 बीघा स्थित थी और उस समय एक बीघा जमीन की 165 बाय 165 की जरीब होकर 27225 वर्गफीट का एक बीघा होता था, इस प्रकार कुल जमीन 54450 वर्गफीट जमीन रही है। वर्तमान नक्शे में जमीन जिस स्थान पर स्थित है, आराजी नम्बर 674 है, किन्तु रेकार्ड में गलत तरमीम हो जाने से मौके पर कब्जे के विवाद उत्पन्न हो रहे है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष मृतक को पक्षकार बनाया जिसके विरूद्ध पारित आदेश काबिल निरस्त के है। अतं में अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया और कथन किया कि खाता संख्या 159 की आराजी संख्या 660 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, आराजी संख्या 668 रकबा 1.2000 हैक्टेयर, आराजी संख्या 0.2200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 680 रकबा 0.4800 हैक्टेयर मौजा सुथारखेड़ा पटवार हल्का भाटोली, तहसील बड़ी सादड़ी में स्थित होकर उनके खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि के पड़ौस के खातेदारों एवं उनकी भूमि के मध्य कोई सीमा चिन्ह नहीं होन से विवाद की स्थिति रहती है। इसलिए प्रार्थीगण विवाद से बचने के लिए अपनी आराजी की मुकम्मज पत्थरगढ़ी करा लेना चाहते है, इस हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी के कब्जे में दखलअंदाजी किये बिना पत्थरगढ़ी के आदेश दिये। उक्त प्रकरण पत्थरगढ़ी से संबंधित है, इसमें तरमीम किये जाने की दाद प्रदान नहीं की जा सकती है। इस हेतु अलग से प्रावधान निर्धारित किये गये है, जिस हेतु अपीलार्थीगण को सक्षम न्यायालय समक्ष चाराजोही की जानी चाहिए। प्रावधित है कि कोई भी खातेदार अपने खातेदारी भूमि का सीमाकंन कराये जाने का अधिकारी है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी/सीमाकंन हेतु आवेदन उक्त आदेश पारित किया जो पूर्णतया विधिसम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी समक्ष उनके खातेदारी भूमि के सीमाकंन/पत्थरगढ़ी बाबत निवेदन किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी द्वारा उक्तानुसार निर्णय दिनांक 22.04.2024 पारित कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रसारित किये, उक्त निर्णय से व्यथीत होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण का प्रमुख उज्र यह रहा है कि समस्त पक्षकारान की खातेदारी भूमि के संबंध में गत भूप्रबन्ध एवं हाल भूप्रबन्ध में सही तरमीम नहीं होने

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 116/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/164) **श्री मांगीलाल के बजाय श्री शांतिलाल व अन्य बनाम लाभचंद व अनय**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

से उक्त पत्थरगढ़ी आदेश से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। प्रकरण में तथ्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से संबंधित तहसीलदार, बड़ीसादड़ी से मौके रिपोर्ट तलब की गई। संबंधित तहसीलदार, बड़ीसादड़ी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.06.2024 को प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार संवत् 2076-2079 की जमाबंदी सुथारखेड़ा के खाता संख्या 159 अनुसार रामचन्द्र 1/4, रामकुंवर 1/4, हीरालाल 1/4 एवं प्यारीबाई 1/4 सा. अचलपुरा के नाम आराजी संख्या 660 रकबा 0.40 है., आराजी नम्बर 668 रकबा 1.20 है., आराजी नम्बर 679 रकबा 0.22 है., आराजी नम्बर 680 रकबा 0.48 है. किता 4 रकबा 2.30 है. दर्ज रिकार्ड है, गत भूप्रबन्ध के नक्शे में उक्त आराजीयात की तरमीम नहीं है। उक्त रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है परन्तु उक्त आराजीयात की गत भूप्रबन्ध के नक्शें में तरमीम नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा भी उनके खातेदारी की भूमियों की सही तरमीम नहीं होने के उज्र प्रस्तुत किये है। इस सही तरमीम के अभाव में अपीलाधी आदेश पारित किये जाने से पक्षकारान के मध्य ओर अधिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उपखण्ड अधिकारी, बड़ी सादड़ी द्वारा भी उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर संबंधित तहसीलदार से अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई, यदि पत्थरगढ़ी आवेदन पर रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो उक्त स्थिति अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी प्रकट होती। उक्त प्रक्रियात्मक त्रुटि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन आदेश पारित हो गया, जिसका इस स्तर पर समर्थन किया जाना उचित नहीं है। प्रकरण में एक तथ्य तो स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात के राजस्व अभिलेखों/नक्शों में सही तरमीम नहीं की गई जिसे स्वयं तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में माना है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण द्वारा अपील में पुरानी जरिब के आधार पर अपना उज्र प्रस्तुत किया जिस अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त जरिब के कभी भी मौजुद नहीं होने के तथ्य प्रस्तुत किये। यह बिन्दु भी जांच का विषय है। इस स्थिति में यह न्यायालय यह उचित समझता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण के सभी पक्षकारान को सुनकर, प्रस्तुत तथ्यों/दस्तावेजात पर विचार विश्लेषण व परिक्षण उपरान्त, पक्षकारान के रेकार्ड ऑफ राईटस/जमाबंदी की जांच कर उसके आधार पर राजस्व अभिलेखों/नक्शों में सही तरमीम कर प्रस्तुत पत्थरगढ़ी आवेदन पर एक माह में पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

परिणामतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.04.2024 अपास्त किया जाता है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण के सभी पक्षकारान को सुनकर, प्रस्तुत तथ्यों/दस्तावेजात पर विचार विश्लेषण व परिक्षण उपरान्त, पक्षकारान के रेकार्ड ऑफ राईटस/जमाबंदी की जांच कर उसके आधार पर राजस्व अभिलेखों/नक्शों में सही तरमीम कर प्रस्तुत पत्थरगढ़ी आवेदन पर एक माह में पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर